

**फदे अहकाम**

(नियम (26))

अज अदालत उपमुख्य दायीगामी ..... सिकराय .....

सरकार बनाम इगर्हि देवी .....

किरम मुकदमा दावा ..... मु० नं० 153/19 .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26-3-19	<p>पेंसोवारी पेश हुई। पेंसोवार सरकार उपस्थित। पेंसोवार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया; बटख का मनन किया। सहकारियों द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मूलानिक सहमति पत्रानुसार इस्तीफारण का निवेदन किया गया। सहमति पत्र पर पक्षवार, प०, शुभनि. तथा तटपीलवार सिवराय की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है। सिवराय पर भी इस्तीफारण का निवेदन किया गया।</p> <p>ऐसी स्थिति में मूलानिक सहमति-पत्र इस्तीफारण के जाने योग्य है एवं सहमति पत्र दिनांक 1.3.19 भी सिवराय व ऐसी का भाग रहेगा।</p> <p>अतः दावा वाली सीमाएं खिन्न जाला दे तथा खिन्नारित अमरा नं. 702 रकमा 1.26 है. वादेरामा पंत्योली तट पीलवार के सामख सिवराय में सहमति दिनांक 1.3.19 के मूलानिक इस्तीफारण के प्रदेश तटपीलवार सिवराय को दिये जाते हैं।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर मुझे न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">31 26/3/19.</p>	